संख्या- 30 /2019/1239/आठ-5-19-219विविध/15टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 19 नवम्बर, 2019

विषयः **उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के पेंशनरों को विनियमितीकरण की तिथि से समस्त सेवा लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणों के पेंशनरों की तदर्थ सेवाओं को संज्ञान में लेते हुए पेंशन का भुगतान किया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है । विनियमितीकरण की तिथि ही मौलिक नियुक्ति की तिथि अवधारित की जाती है। अतः किसी कार्मिक को कोई भी सेवा लाभ सामान्यतया विनियमितीकरण की तिथि से ही नियमानुसार देय होता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हुआ है कि :-

(1) तदर्थ नियुक्ति की तिथि से प्राधिकरण स्तर से अनुमन्य किये गये पेंशन के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान के समायोजन/वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(2) प्राधिकरण कार्मिकों को विनियमितीकरण के आदेश जारी करने की तिथि से ही विनियमित मानते हुए तथा इसी आधार पर सेवा अवधि की गणना करते हुए नियमानुसार पेंशन का लाभ अनुमन्य कराया जाय।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in